[2022] 4 एस सी आर 110

समाज परिवर्तन समुदाय और अन्य
बनाम
कर्नाटक राज्य और अन्य

[रिट याचिका (सिविल) 2009 का क्रमांक 562]

20 मई, 2022

[एन. वी. रमण, सीजेआई, कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली, न्यायाधिपतिगण]

आदेश

1. वर्तमान रिट याचिका एक दशक पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1/कर्नाटक राज्य, प्रतिवादी संख्या 2/आंध्र प्रदेश राज्य और प्रतिवादी संख्या 3/भारत सरकार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ,[1] दिनांक 12.12.1996 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में किए जा रहे सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के उल्लंघन में जारी किए गए सभी खनन अनुबंधों/उप–पट्टों को अवैध घोषित करने और उल्लंघनकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिवादियों/राज्यों और भारत संघ को निर्देश जारी करने की भी मांग की गई। तीसरी प्रार्थना सीमा के पास और बेल्लारी आरक्षित वन में वन क्षेत्रों के भीतर सभी खनन गतिविधियों को रोकने का निर्देश देने के लिए की गई थी। अंत में, खनन कार्यों के लिए भूमि आरक्षित करने की अधिसूचना दिनांक 15.03.2003 और अन्य संबंधित अधिसूचनाओं को अशक्त और शून्य घोषित करने के निर्देश मांगे गए।

3. रिट याचिकाकर्ता ने अधिकारियों की नाक के नीचे, विशेष रूप से बेल्लारी जिले में की जा रही अंधाधुंध और बड़े पैमाने पर खनन गतिविधि के खिलाफ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति[2] द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में याचिकाकर्ता द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन के संबंध में की गई दलीलों का उल्लेख किया गया है जिससे इस क्षेत्र में पर्यावरण का पूर्ण क्षरण हुआ है। नतीजतन, दिनांक 29.07.2011 के आदेश के अनुसार, बेल्लारी जिले में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसके बाद तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पट्टाधारकों द्वारा वन भूमि में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और उसी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन कार्यों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एक संयुक्त दल का गठन

---

[1] (1997) 2 एससीसी 267.

[2] संक्षेप में "सीईसी"

किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे अवैध खनन ने उपरोक्त जिलों के वन क्षेत्र को तबाह कर दिया था।

4. सीईसी ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जिसे "अंतिम प्रतिवेदन" दिनांक 03.02.2012 कहा गया, जिसमें कई सिफारिशें की गईं जिनमें से एक थी खनन गड्ढों और अधिक बोझ वाले कचरे के संबंध में अतिक्रमण की सीमा के आधार पर खानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना, जो कुल पट्टा क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। खदानों की तीन श्रेणियों 'ए', 'बी' और 'सी' का सुझाव दिया गया था। सीईसी द्वारा की गई एक अन्य सिफारिश इस न्यायालय के लिए खनन को फिर से खोलने और खनन संचालन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव के शर्तों से संबंधित थी जो सुधार और पुनर्वास योजनाओं के हिस्से के रूप में विचार करने के लिए था।

5. बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में खनन पट्टों के लिए लौह अयस्क के कुल उत्पादन के लिए एक अधिकतम सीमा निर्धारित करने, लौह अयस्क की बिक्री के लिए एक निगरानी समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली ई–नीलामी के माध्यम से देश के बाहर लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने, निगरानी समिति के साथ ई–नीलामी के दौरान प्राप्त बिक्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करने के साथ–साथ अन्य शुल्कों और निगरानी समिति के गठन और विभिन्न जिम्मेदारियों को सौंपने के संबंध में सी. ई. सी. द्वारा 13 मार्च, 2012 की अपनी प्रतिवेदन के माध्यम से की गई सिफारिश पर इस न्यायालय द्वारा 13 अप्रैल, 2012 के अपने आदेश में विधिवत विचार किया गया और उसे स्वीकार कर लिया गया। 3 सितंबर, 2012 को इस न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों के अधीन 'ए' 'और बी' श्रेणी के सभी अठारह खदानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी। है। सी. ई. सी. ने 15 फरवरी, 2013 की अपनी प्रतिवेदन में 'ए' और 'बी' श्रेणी की शेष खदानों को फिर से खोलने के लिए इसी तरह की सिफारिश की थी।

6. अवैध खनन के माध्यम से निकाले गए लौह अयस्क के मौजूदा भंडार की बिक्री के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर आते हुए, आदेश के माध्यम से दिनांक 23 सितंबर, 2011 को इस न्यायालय ने निगरानी समिति द्वारा आयोजित ई–नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से संचित लौह अयस्क के निपटारे का निर्देश दिया था और कर्नाटक राज्य के तीन जिलों में खनन पट्टों के आसपास "खनन प्रभाव क्षेत्र के लिए व्यापक पर्यावरण योजनाओं"[3] के अनुसार सुधार और शमन के उपाय करने के लिए 29 अक्टूबर, 2012 के आदेश के संदर्भ में एक 'विशेष प्रयोजन वाहन'[4] का गठन किया गया था, जिसमें निगरानी समिति को उस संबंध में एस. पी. वी. को प्राप्त भुगतान प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए थे।

7. वर्ष 2015 में भारतीय खनिज उद्योग संघ, दक्षिणी क्षेत्र, एफ. आई. एम. आई. दक्षिण (2015 का आई. ए. 248) द्वारा इस न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली ई–नीलामी का सहारा लिए बिना कर्नाटक राज्य के भीतर लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क को बेचने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उक्त प्रार्थना का याचिकाकर्ता और अन्य हितधारकों

[3] संक्षेप में 'सीईपीएमआईजेड'
[4] संक्षेप में "एसपीवी"

ने विरोध किया था। हालाँकि, सी. ई. सी. ने 28 अप्रैल, 2016 की अपनी प्रतिवेदन के माध्यम से एफ. आई. एम. आई. दक्षिण द्वारा प्रार्थना पर सहमति व्यक्त की थी जो कि इस आधार पर किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों को देखते हुए, निगरानी समिति के माध्यम से लौह अयस्क की बिक्री के पीछे मूल उद्देश्य को प्राप्त किया गया था और एक वैकल्पिक प्रणाली की जगह बनाने की जरूरत थी। कर्नाटक राज्य ने भी सीईसी द्वारा दिए गए सुझावों पर सहमति व्यक्त की थी और एक दीर्घकालिक समझौते के आधार पर ई–प्लेटफॉर्म के माध्यम से लौह अयस्क की बिक्री की निगरानी के लिए न्यायालय को एक मॉडल प्रस्तुत किया था।

8. निगरानी समिति के गठन के पीछे के कारण और ई–नीलामी के माध्यम से लौह अयस्क की बिक्री के लिए इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए और आगे यह देखते हुए कि सी. ई. पी. एम. आई. जेड. योजना शुभारंभ और उत्पादन पर सीमा को उठाने या सीमा को बढ़ाने के संबंधित पहलू, अभी भी विचाराधीन थी, इस न्यायालय ने 28 अगस्त, 2017[5] के आदेश के माध्यम से एफ. आई. एम. आई. दक्षिण द्वारा दायर उपरोक्त आवेदन को खारिज कर दिया था, यह मानते हुए कि न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के माध्यम से ई–नीलामी द्वारा कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क की बिक्री और खरीद और दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से या हाजिर बिक्री के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री के आधार पर लौह अयस्क को बेचने की अनुमति देने के लिए वर्तमान नीति को समाप्त करने का समय अभी तक नहीं आया है और 18 अप्रैल, 2013 के अंतिम आदेश में देखे गए अन्य संबंधित पहलुओं के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति होने तक लौह अयस्क की बिक्री और खरीद में 'सामान्यता' की बहाली को स्थगित किया जाना चाहिए।

9. एक अन्य आदेश जो ध्यान देने योग्य है, वह 14 दिसंबर, 2017[6] को वर्तमान याचिका में पारित किया गया था। उक्त आदेश मेसर्स कर्नाटक आयरन एवं स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईए सं. 273/2017), एफआईएमआई दक्षिण (आईए सं. 56562/2017) और चित्रदुर्गा सस्टेनेबल माइनिंग फोरम (आईए सं. 76163 और 76167/2017) द्वारा दिए गए आवेदनों पर इस न्यायालय द्वारा तय की गई खनन की वार्षिक सीमा को हटाने और अनुमोदित आर एवं आर योजनाओं, पुनर्ग्रहण और पुनर्वास योजना के अनुसार लौह अयस्क निकालने की अनुमति की मांग के लिए पारित किया गया था। इसी तरह का एक अनुरोध भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आईए नंबर 103342/2017 में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वार्षिक खनिज नीति संशोधन के अधीन थी और खनिज के निष्कर्षण पर सीमा तय करने का विवेक मंत्रालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए था। अपनी ओर से, कर्नाटक राज्य ने बुनियादी ढांचे में किए गए महत्वपूर्ण सुधार पर प्रकाश डाला था और तीनों जिलों के संबंध में तय की गई 30 एमएमटी से लौह अयस्क निष्कर्षण पर आधारित वार्षिक सीमा को धीरे–धीरे बढ़ाकर 50 एमएमटी करने का सुझाव दिया था।

---

[5] (2018) 11 एससीसी 433 के रूप में वर्णित किया गया।

[6] (2018) 13 एससीसी 501 के रूप में वर्णित किया गया

10. सीईसी द्वारा 14 जुलाई, 2017 की अपनी प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की जांच करने और श्री एम.के. जिवराजका, सीईसी के पूर्व सदस्य सचिव द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखने के बाद और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण के अनुसार, इस न्यायालय ने 14 दिसंबर, 2017 को सीईसी द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया था, जिसमें बेल्लारी, तुमकुर और चित्रदुर्ग के तीन जिलों में श्रेणी 'ए' एवं बी' खदानें के लिए सीमा बढ़ाना श्रेणी 'सी' खदानों से संबंधित शर्तों के अधीन हैं।

11. न्यायालय के 23 सितंबर, 2011 के आदेश में संशोधन के लिए दबाव डालने वाले और ई नीलामी के माध्यम से लौह अयस्क की अनिवार्य बिक्री को बंद करने की अनुमति मांगने वाले और कर्नाटक राज्य में खदानों से निकाले गए लौह अयस्क से छर्रों निर्माताओं को निर्यात करने की अनुमति की मांग करने वाले, कई पक्षों द्वारा दायर किए गए आवेदनों से निपटने के लिए आगे बढ़ने से पहले हमने घटनाओं के कालक्रम को निकालने का कष्ट उठाया है।

12. स्वतंत्र आवेदनों के माध्यम से विभिन्न/हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहतें इस प्रकार हैं:

i. भारत सरकार के उद्यम केआईओसीएल लिमिटेड द्वारा आईए क्रमांक 205/2014 और आईए क्रमांक 206/2014 प्रस्तुत किया गया (23 सितंबर, 2011 के आदेश में हस्तक्षेप और संशोधन के लिए।)
ii. एफआईएमआई दक्षिण द्वारा दायर आईए क्रमा क 24335/2018, आईए क्रमांक 61304/2019 और आईए क्रमांक 17007/2021 (कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क से निर्मित छर्रों के निर्यात की अनुमति के लिए, तीन से अधिक अवसरों पर ई नीलामी रखे जाने के बावजूद बिना बिके लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति और कर्नाटक राज्य में पट्टेदारों से लौह अयस्क के अनुबंध में प्रवेश करने की स्वतंत्रता।)
iii. मैसर्स एसएलआर मेटालिंक्स द्वारा दायर आईए क्रमा क 98216/2020 और आईए क्रमांक 98219/2020 (ई–नीलामी का सहारा लिए बिना कर्नाटक में पट्टेदारों से लौह अयस्क की खरीद के लिए सीधे अनुबंध में प्रवेश करने की अनुमति के लिए।)
iv. मेसर्स वेदांता लिमिटेड द्वारा आईए क्रमांक 152631/2018 स्थानांतरित किया गया (कर्नाटक राज्य में ई–नीलामी का सहारा लिए बिना लौह अयस्क के निर्यात/बेचने की अनुमति के लिए।)
v. कर्नाटक राज्य गनी अवलंभीथारा वेदिके द्वारा आईए क्रमांक 64798/2019 में आईए क्रमांक 152631/2018 दायर किया गया है (लौह अयस्क के निर्यात/बेचने के लिए हस्तक्षेप और अनुमति के लिए, जिसे इस्पात संयंत्र और अन्य उद्योग ई–नीलामी प्रक्रिया में खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, इसे प्रचलित बाजार मूल्य पर या उससे ऊपर सीधे बेचना।)
vi. कर्नाटक स्पंज आयरन निर्माता संघों द्वारा दायर आईए क्रमांक 24335/2018 और 152631/2018 में आईए क्रमांक 97376/2019 (कर्नाटक राज्य में छर्रों के निर्यात के लिए हस्तक्षेप और अनुमति के लिए।)

vii. मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा दायर आईए क्रमांक 61452/2020 (ई–नीलामी ढांचे का सहारा लिए बिना, बिना बिके लौह अयस्क को बेचने/निर्यात करने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में अनुमति के लिए।)

viii. एनएमडीसी लिमिटेड, एक केंद्रीय पीएसयू द्वारा दायर आईए क्रमांक 37678/2022 (ई–नीलामी का सहारा लिए बिना और निर्यात उद्देश्यों के लिए सीधे बिक्री के आधार पर इसके द्वारा निकाले गए लौह अयस्क की पेशकश करने की अनुमति के लिए।)

13. याचिकाकर्ता द्वारा लौह अयस्क और छर्रों के निर्यात की अनुमति के लिए खनन कंपनियों और छर्रों निर्माता कंपनियों के अनुरोध का विरोध करते हुए 1 अप्रैल, 2022 को एक उत्तर हलफनामा दायर किया गया है और कहा गया है कि यदि लौह अयस्क का उत्पादन मांग घरेलू इस्पात उद्योग से अधिक है जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो न्यायालय उसके निर्यात की अनुमति देने के बजाय लौह अयस्क निष्कर्षण की सीमा को कम करने पर विचार कर सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यदि आवेदकों द्वारा यह दावा किया गया है कि घरेलू इस्पात उद्योग ने एक उत्पादक संघ बनाया है जिसके कारण वे लौह अयस्क नहीं खरीद रहे हैं, तो गुटबंदी की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा छर्रों के निर्यात की अनुमति का भी विरोध किया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित 23 सितंबर, 2011 का आदेश संशोधन के योग्य नहीं है।

14. निगरानी समिति ने 09 अप्रैल, 2022 को एक स्थिति प्रतिवेदन दायर की है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि 31 मार्च, 2022 तक, लौह अयस्क का समापन शेष 8.29 एमएमटी (लगभग) है। वर्ष 2021 के दौरान ई–नीलामी के माध्यम से 33.156 एमएमटी लौह अयस्क बेचा गया। 01.04.2021 तक, चालू खदानों (श्रेणी 'ए' और 'बी') के संबंध में लौह अयस्क का प्रारंभिक भंडार 6.65 एमएमटी (लगभग) है। प्रतिवेदन सारणीबद्ध रूप में बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के बाहर संचालित लौह अयस्क खनन पट्टों की सूची भी प्रस्तुत करती है, जिसमें अनुमोदित क्षमता और उनके द्वारा प्राप्त वास्तविक उत्पादन का वर्णन किया गया है। एक अन्य सारणीबद्ध विवरण में उपरोक्त तीन जिलों में श्रेणी 'ए' 'बी' और 'सी' के लिए लौह अयस्क खनन पट्टों की अलग–अलग श्रेणियों में नीलाम की गई खदानों की सूची शामिल है, जिसमें अनुमोदित अधिकतम अनुमेय वार्षिक उत्पादन[7] और वास्तविक उत्पादन और प्रेषण दिखाया गया है।

क्र.सं.	पट्टेदार का नाम और पट्टा क्रमांक	वर्ष	प्रारंभिक जमा	वर्ष के लिए एमपीएपी	एमपीएपी के खिलाफ उत्पादन	वर्ष के दौरान प्रेषण	समापन स एमटीएस

[7] संक्षेप में "एमपीएपी"

			एमटीएस में	एमटीएस में	एमटीएस में	एमटीएस में	
1.	जेएसडब्ल्यू लिमिटेड (नारायण) एमएल सं. 0012	2021–22	306478.0	1110000	1007885.0	966213.95	3481
2.	जेएसडब्ल्यू लिमिटेड (धर्मा) एमएल सं. 0013	2021–22	6182.0	180000	179928.0	168700.8	1740
3.	जेएसडब्ल्यू लिमिटेड (भोम्मन) एमएल सं. 0014	2021–22	781482.0	1000000	1598559.3	463400.168	19166
4	मएसपीएल (एएनएस) एमएल सं. 0015	2021–22	70348.0	120000	50720.0	72000	4906
		कुल	**1164490.0**	**2410000**	**2837092.3**	**1670314.918**	**23312**

अनुमोदित एमपीएपी, वास्तविक उत्पादन और समापन शेष दिखाते हुए ए और बी नीलाम खानों के लिए बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर में चल रहे लौह अयस्क खनन पट्टों की सूची।

15. सीईसी ने 30 मार्च, 2022 को इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के जवाब में 10 अप्रैल, 2022 की प्रतिवेदन संख्या 3 प्रस्तुत की है। समय–समय पर इसके द्वारा प्रस्तुत की गई पिछली रिपोर्टों का

उल्लेख करने के बाद, यह कहा गया है कि केवल इस न्यायालय द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण समय में निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था जब कर्नाटक राज्य में खनन कार्य प्रतिबंधित थे और आने वाले समय में खनन कार्यों को प्रतिबंधित करना इस न्यायालय का कभी भी इरादा नहीं था; निगरानी समिति के माध्यम से आयोजित ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री ने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है और स्थिति में सुधार को देखते हुए अब उसी व्यवस्था को जारी रखना आवश्यक नहीं है। 31 मार्च, 2022 तक श्रेणी 'ए' 'बी' और 'सी' में उपलब्ध भंडार के समापन शेष से संबंधित निगरानी समिति द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देते हुए, जो कि 1,19,47,839.3 मीट्रिक टन है, सीईसी ने सिफारिश की है निगरानी समिति द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से लौह अयस्क की बिक्री का निर्देश देने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को इस शर्त के साथ निरस्त किया जाना चाहिए कि उप ग्रेड लौह सहित शेष लौह अयस्क के पुराने भंडार की बिक्री के लिए उक्त प्रक्रिया अपनाई जाती रहेगी। प्रतिबंध लगाने की तिथि पर अयस्क उपलब्ध है। यह सुझाव दिया गया है कि सभी शेष पुराने भंडार को जुलाई, 2022 के अंत से पहले ई–नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाए और यदि कोई भंडार बिना बिके रह गया है, तो ही पट्टेदार को ई–नीलामी प्रक्रिया अपनाए बिना इसके निपटान की अनुमति दी जानी चाहिए।

16. सीईसी द्वारा दिया गया दूसरा सुझाव एनएमडीसी लिमिटेड को छोड़कर सभी पट्टेदारों से बिक्री मूल्य का 10% और एसपीवी में उनके योगदान के लिए एनएमडीसी लिमिटेड से बिक्री मूल्य का 20% संग्रह बंद करना है। तीसरा, यह सुझाव दिया गया है कि बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों से लौह अयस्क और छर्रों के निर्यात पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया जाए। अंत में, सीईसी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से श्रेणी 'ए' और 'बी' खानों के संबंध में लौह अयस्क के उत्पादन पर जिला स्तर की सीमा तय करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की है। प्रतिवेदन इस अनुरोध के साथ समाप्त होती है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2012 और 18.04.2013 के आदेशों द्वारा अनुमोदित आर एवं आर योजनाओं और पूरक पर्यावरण योजनाओं के माध्यम से तय की जा रही एमपीएपी के निर्धारण की प्रणाली को जारी रखा जा सकता है।

17. भारत संघ के इस्पात मंत्रालय ने 16 अप्रैल, 2022 को एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सालाना 120 मीट्रिक टन स्टील के उत्पादन के लिए 192 मीट्रिक टन लौह अयस्क की आवश्यकता के खिलाफ, यह न्यायालय कर्नाटक राज्य के तीन जिलों में लगाए गए लौह अयस्क खदानों पर जिला स्तर की सीमा के आदेश को खाली करने पर विचार कर सकता है, उक्त राज्य की खदानों को देश के बाकी हिस्सों की खदानों के समान मानते हुए।

18. खान मंत्रालय, भारत संघ ने 9 अप्रैल, 2022 को एक अलग हलफनामा दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया है कि वर्षों से, परिदृश्य बदल गया है जो समय–समय पर सी. ई. सी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से स्पष्ट होगा। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 लागू किया गया है और सभी उक्त कदम एक साथ उठाए गए हैं, जिससे पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए कर्नाटक राज्य में खदानों के

संचालन को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कर्नाटक राज्य में खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात पर कोई आपत्ति नहीं है, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में किया जा रहा है।

19. के. आई. एस. एम. ए. ने एफ. आई. एम. आई. दक्षिण, के. आई. ओ. सी. एल. लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड और अन्य द्वारा अनुरोध किए गए लौह अयस्क छर्रों के निर्यात की अनुमति के लिए ऊपर उल्लिखित आवेदनों का विरोध करते हुए दिनांक 08.04.2022 और 18.04.2022 पर दो हलफनामे दायर किए हैं और कहा है कि निगरानी समिति के माध्यम से ई–नीलामी की प्रक्रिया को कथित रूप से खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उक्त प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति के अनुरोध का विरोध करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि ऐसी किसी भी अनुमति के परिणामस्वरूप खनिकों को आधार मूल्य इतना अधिक तय करना पड़ सकता है कि घरेलू इस्पात उद्योगों को बाहर कर दिया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप खनिकों द्वारा हेरफेर किया जा सकता है।

20. इसी तरह की आपत्ति लौह अयस्क छर्रों के निर्यात के अनुरोध के संबंध में भी उठाई गई है। केआईएसएमए का रुख यह है कि लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप घरेलू इस्पात और संबद्ध उद्योग निराहार हो जायेंगे और खनन उद्योगों को लौह अयस्क की कीमतों में हाल का अतीत में वृद्धि के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में त्वरित लाभ कमाने की अनुमति मिल जाएगी। अपने बाद के हलफनामे में, केआईएसएमए ने कहा था कि यदि यह न्यायालय कर्नाटक राज्य से लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति देने के इच्छुक है, तो इसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और दिशानिर्देशों के अधीन अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि सी. ई. सी. द्वारा अपनी प्रतिवेदन संख्या 19/2019 में अनुशंसित किया गया है, जिसे बाद में प्रतिवेदन संख्या 16/2020 और प्रतिवेदन संख्या 20/2020 में दोहराया गया है।

21. कर्नाटक राज्य ने वेदांता लिमिटेड द्वारा दायर आई. ए. संख्या 152631/2018 के जवाब में 17 मई, 2021 को एक हलफनामा दायर किया था, जिसके बाद 19 अप्रैल, 2022 को दायर किए गए उक्त आवेदन का एक अतिरिक्त जवाब दिया गया था। उक्त दोनों हलफनामों में कर्नाटक राज्य ने कहा है कि राज्य के भीतर स्थित खदानों से निकाले गए लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य के भीतर खनन किए गए लौह अयस्क के निर्यात के लिए अनुमति देने की सिफारिश करने वाली सीईसी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन संख्या 3/2022 से असहमति जताते हुए, यह कहा गया है कि ऐसी सिफारिश किसी भी ठोस सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है।

22. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर विचार किया है, सीईसी और निगरानी समिति की नवीनतम प्रतिवेदन का अध्ययन किया है, इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय, भारत संघ के साथ–साथ कर्नाटक राज्य के रुख की भी जांच की। संबंधित पक्षों द्वारा विचाराधीन अपने आवेदनों में हमारे सामने रखे गए तथ्य को भी जांचा है। वर्तमान में, हम इस आदेश के दायरे को आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दोहरे अनुरोधों की जांच करने तक सीमित रखने का प्रस्ताव करते हैं,

अर्थात् निगरानी समिति के माध्यम से आयोजित ई–नीलामी की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना पहले से ही खुदाई किए गए लौह अयस्क के न बेचे गए भंडार को बेचने की अनुमति और कर्नाटक राज्य में स्थित बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों से लौह अयस्क/छर्रों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए। हालांकि लौह अयस्क के कुल उत्पादन के लिए अधिकतम सीमा को हटाने के संबंध में कुछ प्रस्तुतियाँ थीं जो पक्षों द्वारा की गई, किन्तु इस स्थिति में हम उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

23. अभिलेखों से पता चलता है कि कर्नाटक राज्य के तीन जिलों बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर में पहले से ही खनन किए गए लौह अयस्क की बिक्री के लिए ई–नीलामी प्रक्रिया का सहारा लेने के बार–बार किए गए प्रयासों का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है। इसके परिणामस्वरूप, उप–ग्रेड लौह अयस्क सहित लौह अयस्क का बड़ा भंडार अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। 31.03.2022 तक, श्रेणी 'ए' और 'बी' खदानों में उपलब्ध स्टॉक 82,98,130.5 मीट्रिक टन बताया गया है। उपरोक्त तिथि तक नीलाम श्रेणी 'सी' खदानों में उपलब्ध स्टॉक 12,25,100.5 मीट्रिक टन है। ई–नीलामी श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी' की अवधि समाप्त पट्टों के संबंध में स्टॉक 2,33,126.73 मीट्रिक टन है और बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के बाहर खनन पट्टों में 93,181 मीट्रिक टन है। 31 मार्च, 2022 तक कर्नाटक राज्य की सभी खदानों में उपलब्ध लौह अयस्क का अंतिम शेष 11,94,783.93 मीट्रिक टन तक बढ़ गया है।

24. इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेशों पर नज़र डालने पर, स्पष्ट रूप से यह कर्नाटक राज्य में हो रहे बड़े पैमाने पर अवैध खनन के कारण था और इसने क्षेत्र की पारिस्थितिकी को गंभीर रूप से प्रभावित किया था कि न्यायालय को तीन विशिष्ट जिलों में खनन कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, न्यायालय को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां खदानों और स्टॉक यार्डों में लौह अयस्क का एक बड़ा भंडार जमा हो गया था जिसका निपटान करना आवश्यक था। तदनुसार, सीईसी की सिफारिशों पर ई–नीलामी की एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें आगे निर्देश दिया गया कि बिक्री आय को लौह अयस्क के ऐसे स्टॉक पर स्वामित्व अधिकारों के निपटान तक एक अलग खाते में रखा जाएगा। निगरानी समिति के तत्वावधान में उत्खनित लौह अयस्क के स्टॉक की बिक्री के लिए इस पद्धति को लगातार अपनाया गया है, जिसे सभी श्रेणी 'ए' और 'बी' खानों और के संबंध में बिक्री मूल्य का 10% कटौती करने के लिए कहा गया था। एनएमडीसी लिमिटेड के स्वामित्व वाली दो खदानों के संबंध में बिक्री मूल्य का 20%, सीईपीएमआईज़ के कार्यान्वयन के लिए एसपीवी खातों में जमा किया जाएगा। सीईसी द्वारा प्रस्तुत 2022 की रिपोर्ट 3 में रिकॉर्ड किया गया है कि 31 मार्च, 2022 तक निगरानी समिति द्वारा बनाए गए एसपीवी में संग्रह 20,000 करोड़ से अधिक हो गया है, जो कि प्रस्तावित गतिविधियों से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

25. यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय द्वारा 2014 के आई. ए. संख्या 205–206 में पारित 13 अप्रैल, 2012 और 11 अगस्त, 2014 के पहले के आदेशों में यह स्पष्ट किया गया था कि *"निगरानी समिति के माध्यम से बिक्री की प्रणाली की समीक्षा दो साल बाद की जा सकती है।"* यह आठ साल बीतने के बाद है कि यह न्यायालय उस प्रणाली पर पुनर्विचार कर रहा है जिसे लागू किया गया था।

26. सी. ई. सी. द्वारा दायर 18 जुलाई, 2019 की प्रतिवेदन संख्या 19/2019 भी उपरोक्त संदर्भ में प्रासंगिक है और इसे नीचे निकाला गया हैः

"21. यह देखा गया है कि वर्ष 2018–19 के दौरान कर्नाटक राज्य ने लगभग 30.33 एमएमटी लौह अयस्क का उत्पादन किया है। इसमें से लौह अयस्क का न बिका हुआ भंडार 15.86 एमएमटी है, जिसे पुराने भंडार का 10.43 एमएमटी और अयस्क का ताजा भंडार 5.43 एमएमटी के रूप में विभाजित किया गया है।

22. चूँकि इस्पात निर्माता अन्य राज्यों या विदेशों से लौह अयस्क का आयात कर रहे हैं, इसलिए निगरानी समिति ने अपनी प्रतिवेदन दिनांक 3.5.2019 में स्वीकार किया है कि देश के बाहर से लौह अयस्क के आयात ने लौह अयस्क की मांग और ई–नीलामी बिक्री में मूल्य निर्धारण को प्रभावित किया है। ई–नीलामी बिक्री में कमी के कारण इसे और समर्थन मिला जैसा कि 1.1.2018 से 30.6.2018 और 1.7.2018 से 31.3.2019 की अवधि के लिए बिक्री आंकड़ों से देखा जा सकता है। इस दौरान निगरानी समिति द्वारा लौह अयस्क की कुल 229 ई–नीलामियों का संचालन किया गया है। यह देखा जाएगा कि 72 दिनों में, 229 दिनों में से 50 प्रतिशत या उससे अधिक ई–नीलामी में अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा बिक्री के लिए दी गई राशि का 50 प्रतिशत से अधिक खरीदा गया है, जबकि शेष 157 दिनों में बिक्री के लिए दी गई राशि का 50 प्रतिशत से कम खरीदा गया है। 8 दिनों में जब वहां ई–नीलामी आयोजित की गई थी शून्य बोली लगाई गई है जबकि 12 दिनों में बिक्री के लिए दी गई राशि का 100% बोली लगाई गई है।

XXXX

25. यह विवाद में नहीं है कि "लौह अयस्क गांठों" की मांग है और बाजार मूल्य पर बेचे जाते हैं। इस प्रकार इस माननीय न्यायालय के समक्ष मुद्दा "लौह अयस्क फाइन" की बिक्री के संबंध में है जो विशेष रूप से तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों में स्थित खदानों से नहीं हो रही है। आवेदक का खनन पट्टा भी चित्रदुर्ग जिले में स्थित ऐसी ही एक खदान है। इन दोनों जिलों के लौह अयस्क की गुणवत्ता भी चिंता का विषय है क्योंकि इनमें मैंगनीज की मात्रा अधिक होती है। **यह सब लौह अयस्क फाइन की मांग पर इतना प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि आरक्षित मूल्य पर भी लगातार नीलामी में 450/टन प्रति टन सामग्री नहीं बिक रही है।**

XXXX

28. लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति के लिए आवेदन पर विचार करते समय, माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 1.9.2016 में आई. ए. सं. 259 और आई. ए. संख्या 263, डब्ल्यू पी (सी) 562/2009 में, अन्य बातों के अलावा, यह पाया कि:

"निर्यात की अनुमति को व्यक्तिगत मामलों में तदर्थ निर्णयों से अलग सामान्य अनुप्रयोग के मानदंडों और मापदंडों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। जब तक ऐसे दिशानिर्देश तैयार नहीं हो जाते, मैसर्स वेदांता लिमिटेड की प्रार्थना को उसके लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं दी

जा सकती। जहां तक निर्यात के लिए दिशानिर्देश/मानदंड तैयार करने का मुद्दा है, इस पर उचित समय और राज्य द्वारा अलग से विचार किया जाएगा।"

निर्यात की अनुमति केवल इस संबंध में भारत सरकार की मौजूदा नीति के अधीन लौह अयस्क के न बेचे गए भंडार के संबंध में किया जाने वाला एक सक्षम प्रावधान है। तथापि, लौह अयस्क का वास्तविक निर्यात घरेलू बाजार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क की कीमत पर निर्भर करेगा। चूंकि लौह अयस्क का उत्पादन प्रति वर्ष 30 एम. एम. टी. को पार कर गया है, एक सवाल यह उठता है कि क्या यह कर्नाटक में लौह अयस्क की बिक्री राज्य विशिष्ट प्रतिबंध की समीक्षा करने का समय है ताकि इस तरह के राज्य विशिष्ट प्रतिबंध उत्पादक या निर्माता या दोनों के लिए नुकसानदेह न हों। यह परिवर्तित स्थिति में अधिक होता है, जब इस्पात और संबद्ध उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकता लौह अयस्क के उत्पादन से सीमित नहीं होती है। इन परिस्थितियों में आदर्श रूप से मांग/आपूर्ति और अयस्क की कीमत को बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

29. नए खनन पट्टों को अब अंतिम उपयोगकर्ताओं को ई–नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाने वाला अधिमूल्य राज्य में बेचे जाने वाले किसी दिए गए ग्रेड या लौह अयस्क के संबंध में प्राप्त मासिक औसत मूल्य के आधार पर आईबीएम द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट मूल्यों तक सीमित है। भाग लेने की योग्यता कर्नाटक राज्य में नई खदानों की बिक्री और लौह अयस्क की ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इस्पात और संबद्ध उद्योगों, अंतिम उपयोगकर्ताओं तक सीमित है। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यह स्थिति अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग को अयस्क की बिक्री मूल्य में हेरफेर करने की गुंजाइश देती है जो बदले में उनके द्वारा खरीदी गई बंदी खदानों से उत्पादित लौह अयस्क के संबंध में भुगतान की जाने वाली अधिमूल्य राशि को प्रभावित करेगी। एफ. ई. फाइन के संबंध में इस्पात टकसाल से बिक्री मूल्य डेटा और एफ. आई. एम. आई. द्वारा प्रस्तुत पूर्व खदानों में कीमत इंगित करती है कि आई. बी. एम. ने जनवरी, 2018 और मई, 2019 के बीच कर्नाटक में लौह अयस्क की कीमतों में (–)18.7% की कमी दर्ज की है, जबकि इसी अवधि के दौरान आई. बी. एम. ने अन्य राज्यों में कीमतें प्रकाशित की हैं जहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में क्रमशः केवल (–) 2,7 प्रतिशत और (–) 7,7 प्रतिशत की गिरावट आई है। जनवरी, 2018 से मई, 2019 की अवधि के लिए 60 प्रतिशत वित्त वर्ष के जुर्माने के लिए पूर्व–खदान मूल्य दिखाने वाले विवरण की एक प्रति इस प्रतिवेदन के अनुबंध आर–9 के रूप में संलग्न है। **यह रहा है कि बिक्री मूल्य में अंतर अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए ई–नीलामी में भागीदारी को सीमित करने का परिणाम है जो उच्च भूमि लागत पर लौह अयस्क का आयात करने का सहारा लेते हैं, हालांकि यह राज्य में उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में खनन पट्टेदारों से लौह अयस्क की खरीद में इस्पात उद्योग को दी गई विशिष्टता के कारण लौह अयस्क की कीमतों में हेरफेर की संभावना को दूर करने की आवश्यकता है।"**

27. सी. ई. सी. ने अपनी प्रतिवेदन संख्या 16/2020 दिनांक 29.06.2020 में निम्न प्रासंगिक टिप्पणियां की थीं:

"10. **... ... इस माननीय न्यायालय का कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिले से लौह अयस्क या छर्रों के निर्यात पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं था। आगे लौह अयस्क और छर्रों के निर्यात पर और प्रतिबंध लगाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा केवल तीन जिलों में खनन कार्यों पर प्रतिबंध के संदर्भ में और एक अंतरिम उपाय के रूप में दिया गया है।** आर एवं आर योजनाओं के कार्यान्वयन और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक खनन पट्टे के संबंध में निर्धारित वार्षिक उत्पादन सीमाओं के अनुपालन से संबंधित शर्तों को पूरा करने के बाद श्रेणी "ए" और श्रेणी "बी" खानों को चरणबद्ध तरीके से भंडार की उपलब्धता, डंप क्षेत्र की उपलब्धता और खदानों से लौह अयस्क की निकासी के लिए उपलब्ध परिवहन बुनियादी ढांचे के आधार पर फिर से खोला गया है।

11. आर एवं आर योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रत्येक परिचालन खनन पट्टे के संबंध में उत्पादन सीमाओं के वैज्ञानिक निर्धारण के अनुसार, तीन जिलों बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर में पर्यावरणीय मानकों में काफी कुछ सुधार किया गया है। **कर्नाटक लौह और इस्पात निर्माता संघ (के. आई. एस. एम. ए.) द्वारा लौह अयस्क और छर्रों के निर्यात का विरोध मुख्य रूप से वाणिज्यिक विचारों पर आधारित है और इसका सीधे तौर पर खनन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों से कोई संबंध नहीं है।** वार्षिक उत्पादन स्तर 25 एमएमटी को पार कर गया है, जिसकी सीमा पहले सीईसी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2.4.2014 में केआईओसीएल द्वारा लौह अयस्क और छर्रों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए दायर 2014 के आईए संख्या 205 और आईए संख्या 206 में सुझाई थी। वर्तमान में कर्नाटक में नए खनन पट्टे देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

12. **सी. ई. सी. द्वारा क्रमशः 2020 की अपनी प्रतिवेदन संख्या 19 दिनांकित 18.07.2019 और 2019 की प्रतिवेदन संख्या 20 दिनांकित 18.07.2019 में लौह अयस्क और छर्रों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए सिफारिश की गई जो स्थायी आधार पर लौह अयस्क की उपलब्धता और इस विषय पर भारत सरकार की सामान्य नीति पर विचार करके की गई है। इन परिस्थितियों में, सीईसी का विचार है कि माननीय न्यायालय द्वारा कर्नाटक राज्य के तीन जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के संदर्भ में लौह अयस्क और छर्रों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के इस माननीय न्यायालय की विशेष आदेश की अब समीक्षा करने की आवश्यकता है। लौह अयस्क की बिक्री और मूल्य निर्धारण का तरीका बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित किया जाना सबसे अच्छा है क्योंकि निर्यात सहित बिक्री पर किसी भी प्रतिबंध से दूसरे की कीमत पर केवल एक पक्ष को लाभ होगा। लौह अयस्क की कीमतों के कृत्रिम दमन से राज्य सरकार के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।** अपनी **तिवेदन संख्या 19 दिनांकित 18.07.2019** में सी. ई. सी. की सिफारिश लौह अयस्क के निर्यात पर लौह अयस्क तक ही सीमित है जो उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा नहीं बेचा जाता है/नहीं खरीदा जाता है और बिक्री के दिशा–निर्देश/विधि निर्धारित करता है। **कीमतों में हेरफेर के दायरे को दूर करने के लिए सी. ई. सी. द्वारा सुझाए गए बिक्री की**

स्थिति में अंतर्निहित प्रावधान है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि इस माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 13.04.2012 और निर्णय दिनांकित 18.04.2013 में कहा है कि देश के बाहर निर्यात की अनुमति केवल उस सामग्री के संबंध में होनी चाहिए जिसे इस्पात संयंत्र और संबद्ध उद्योग निगरानी समिति द्वारा प्राप्त की गई फाइन/गांठों के संबंधित ग्रेड औसत कीमत पर या उससे अधिक खरीदने के इच्छुक नहीं हैं।"

28. इस्पात मंत्रालय, भारत संघ ने हस्तक्षेप करने वालों द्वारा दायर आवेदनों का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2018 के बाद से खनन परिदृश्य में काफी सुधार हुआ है और उस पृष्ठभूमि में, न्यायालय कर्नाटक राज्य में स्थित खदानों को देश के बाकी हिस्सों में स्थित राज्यों के बराबर शोधन करने पर विचार कर सकता है क्योंकि इससे कर्नाटक राज्य में खनन किए गए लौह अयस्क के अंतर–राज्यीय व्यापार की अनुमति मिलेगी, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है। खान मंत्रालय को भारत सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार अन्य देशों को लौह अयस्क के निर्यात पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

29. हम इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और खान मंत्रालय द्वारा लिए गए इस रुख से व्यापक रूप से सहमत हैं कि बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में स्थित खदानों के लिए देश के बाकी हिस्सों में स्थित अन्य खदानों के साथ एक समान उपचार किये जाने वाला बनाना है। जैसा कि सी. ई. सी. ने संकेत दिया है, लौह अयस्क की मांग/आपूर्ति और कीमत को बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित किया जाना सबसे अच्छा है। यह न्यायालय की राय है कि कर्नाटक राज्य के तीन प्रमुख जिलों में लौह अयस्क की अनियंत्रित खुदाई को रोकने के लिए एक दशक पहले की गई प्रणाली की समीक्षा करने का समय आ गया है। तब से, उत्खनन किए गए लौह अयस्क के निपटान के लिए ई–नीलामी ही एकमात्र साधन है। उक्त व्यवस्था अब तक संतोषजनक रूप से काम कर चुकी है। वर्ष 2011 से पहले इस क्षेत्र में जो स्थिति प्रचलित थी, वह अब बेहतरी के लिए बदल गई है। कार्यप्रणाली में हुए सुधार, पर्यावरण को हुई विनाशकारी क्षति के बाद पुनरूत्पादन और सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि 23 सितंबर, 2011 को पारित आदेश में ढील दी जानी चाहिए। इसके अलावा, यह अभिलेख की बात है कि निगरानी समिति द्वारा आयोजित लगातार ई–नीलामी को खराब प्रतिक्रिया मिल रही है और आरक्षित मूल्य पर भी लौह अयस्क की बिक्री बहुत कम है। दृष्टिकोण में समग्र परिवर्तन को देखते हुए, लौह अयस्क की बिक्री के संचालन के तरीके और बिक्री मूल्य के निर्धारण पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता है।

30. उपरोक्त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, हम आवेदकों द्वारा की गई प्रार्थना पर अनुकूल रूप से विचार करने और उन्हें स्वीकार करने तथा कर्नाटक राज्य में बेल्लारी, तुमकुर और चित्रदुर्ग जिलों में स्थित विभिन्न खदानों और भंडार यार्डों में पहले से ही खुदाई किए गए लौह अयस्क के ढेर को ई–नीलामी की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना बेचने की अनुमति देने के लिए इच्छुक है। आवेदकों को अंतर–राज्यीय बिक्री के माध्यम से उत्खनन किए गए लौह अयस्क को उठाने के लिए सीधे अनुबंध करने की अनुमति दी जाती है। हम आवेदकों को कर्नाटक राज्य में खानों से उत्पादित लौह अयस्क से निर्मित लौह अयस्क और छर्रों के विदेशों में स्थित देशों के लिए निर्यात की भी अनुमति देते हैं लेकिन भारत सरकार की मौजूदा नीति के संदर्भ में सख्ती से, जैसा कि देश के बाकी हिस्सों में किया जा रहा है।

31. उपरोक्त आदेश के साथ, पैराग्राफ 12 में सूचीबद्ध सभी आवेदनों को ऊपर बताई गई सीमा के अधीन अनुमति दिया जाता है।

32. बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में खनन पट्टों के लिए लौह अयस्क के उत्पादन की अधिकतम सीमा को हटाने के संबंध में पार्टियों की दलीलों के संबंध में, हमारी राय है कि उक्त मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2022 के आदेश द्वारा नियुक्त निगरानी प्राधिकरण से एक राय प्राप्त करना समीचीन होगा।

32. हम निगरानी प्राधिकरण से सीईसी और निगरानी समिति सहित हितधारकों से इनपुट लेने और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय को अपनी राय भेजने का अनुरोध करते हैं।

33. उक्त मुद्दे पर जुलाई 2022 के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध।

निधि जैन
(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

आवेदनों का निस्तारण किया गया।

अनुवादकर्ता– हर्षवर्धन सिंह, नया. दण्ड. प्र.श्रेणी, पटना सदर |